	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 20, मंगलवार, *शाके* 1947- नवम्बर 11, 2025 Kartika 20, Tuesday, Saka 1947- November 11, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2025

जी.एस.आर.93 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष **ग्रुप-क** के उप-शीर्ष **चयन ग्रेड** के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1	निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। यदि कोई संयुक्त निदेशक पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति और संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक के पदों पर कम से कम 8 वर्ष का संयुक्त अनुभव रखने वाले व्यक्ति	-	-

				पदोन्नति के लिए विचार में लिये जायेंगे; और उसे संरक्षण, उत्खनन और संग्रहालय की व्यवस्था तकनीक में प्रशिक्षित होना चाहिए और प्रकाशन, संरक्षण कार्य, पुरालेख शास्त्र, मुद्राशास्त्र और विभागीय क्रियाकलापों के अन्य क्षेत्रों के संबंध में उसका रिकार्ड अच्छा होना चाहिए।		

”

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 1क और उसकी प्रविष्टियां अंतस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“1क	**संयुक्त निदेशक**	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	उप निदेशक	उप निदेशक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव। यदि कोई उप निदेशक पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो उप निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति तथा अधीक्षक/उत्खनन अधीक्षक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी पद पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए विचार में लिये जायेंगे।	-	-

”

[सं. एफ.1(21) डीओपी/ए-II/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, November 10, 2025

G.S.R.93 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby make the following rules further to amend the Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960, namely :-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Rajasthan Archaeology and Museums Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960, under sub-head Selection Grade of head Group A ,-

(i) the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Director of Archaeology & Museum	100% by promotion	Joint Director	Five years experience as Joint Director. In case no Joint Director is found eligible or suitable for promotion, the person working as Joint Director and having at least 8 years combined experience of the posts of Joint Director and Deputy Director shall be considered for promotion; and He must also be trained in Conservations, Excavation, and Museums organization techniques and should have a good record either by way of publication, Conservation work, Epigraphy, Numismatics and other fields of the departmental activities.	-	-

"

(ii) after serial number 1 and entries thereto, so substituted and before the existing serial number 2 and entries thereto, the following new serial number 1A and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

1A.	**Joint Director**	100% by promotion	Deputy Director	Three years experience of the post of Deputy Director. In case no Deputy Director is found eligible or suitable for promotion, the persons working as Deputy Director and having at least 7 years experience on any post of Superintendent/Excavation Superintendent/Registering Officer shall be considered for promotion.	_	_

"

[No. F.1(21)DOP/A-II/84]
By order and in the name of the Governor,
MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.